



433-I-17

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. / /

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने वावत्।


- श्री बटई गौड उम्र 45 पिता श्री प्रेमासिंह
निवासी-ग्राम पंचायत पोंडी ग्राम पोंडी तारादेही दमोह

विरुद्ध -

- म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

अंतर्गत पुनर्निरीक्षण याचिका धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1. माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 50/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दि. 20/01/2017 (Annexure-1) से व्यक्ति होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत् यह पुनर्निरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।
2. यह कि श्री बटई गौड उम्र 45 पिता श्री प्रेमा सिंह निवासी-ग्राम पंचायत पोंडी ग्राम पोंडी तारादेही दमोह द्वारा ग्राम मारापाठा प.ह.नं. 32, रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 255 रकवा 0.75 हेक्टेयर भूमि को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 25/11/2016 (Annexure-2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत् कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
3. प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि विक्रय अनुमति उपरांत आवेदक के पास ग्राम चूरिया प.ह.नं. 32 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर में ग्राम मारापाठा प.ह.नं. 32, रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 255 रकवा 0.75 हेक्टेयर को विक्रय के पश्चात् आवेदक के पास ग्राम चूरिया प.ह.नं. 32 रा.नि.मं. बरगी तह. व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 118, 119, 120 रकवा क्रमशः 0.870, 1.20, 1.00 यानि की 3.070 हे. असिंचित भूमि शेष बच रही है। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है। आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक को उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है तथा आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि सिंचित है। साथ ही प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गई थी, आवेदक के साथ किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो रहा है और भूमि विक्रय से आदिवासी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रकरण में आवेदक के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था, और प्रकरण ग्राह्यता पर तर्क हेतु दिनांक 06.02.2017 को नियत किया गया जो कि काफी समयावधि है। तत्पश्चात् आवेदक शीघ्र सुनवाई हेतु दिनांक 16.01.2017 को अपना आवेदन स्वयं उपस्थित होकर कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया। तथा कलेक्टर महोदय ने समाधान कारक प्रमाण /



24 JAN 2017

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, व्यालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 433-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हक्काकार
6-2-17	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 50/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20-1-17 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्राप्त हुआ है। जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं मालिकाना हक्क की वाम मरहापाठा प.ह.बं. 32 रा.नि.मं. बरही तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 255 रक्षा 0.750 हैक्टर को विक्रय करने की अनुमति संहिता की धारा 165(6) के तहत दिए जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण दिनांक 25-11-16 को पंजीबद्ध कर दिनांक 6-2-17 के लिए नियत किया गया। इसके उपर्यांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष दिनांक 20-1-17 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया जाकर प्रकरण पूर्ववत दिनांक 6-2-17 के लिए नियत किया गया है। कलेक्टर के इस आदेश से व्यवित होकर यह निगरानी पेश की गई है। कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और लंबी पेशी नियत कर दी गई है। आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है बल्कि आवेदक की स्वर्गजित भूमि</p>	

P
JK

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>है। आवेदक की समाज के व्यक्ति भूमि को कर्य करने को तैयार नहीं है। आवेदक को कर्ज अदा करने आदि के कारण रूपयों की आवश्यकता है। आवेदक की भूमि विकाय करने के संबंध में बात गैर आदिम जनजाति के कुछ व्यक्तियों से चल रही है परंतु वे भूमि मिलने के उपरांत ही भूमि कर्य करने की बात कह रहे हैं। जिलाध्यक्ष द्वारा प्रकरण में गाह्यता पर तर्क के लिए लंबी पेशी नियत करदी गई है जबकि आवेदक द्वारा जो आधार दिए गए हैं वे भूमि विकाय की अनुमति देने हेतु पर्याप्त हैं। अंत में उनके द्वारा भूमि विकाय की अनुमति दिए जाने का निवेदन किया गया है। आवेदक की ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनसे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वतंत्र एवं आधिपत्य की है जो उसके द्वारा कर्य की गई है उक्त भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है। आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि उसे वर्तमान वर्ष की गाहड़ लाहन से अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है, उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विकाय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदक द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनसे यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के पास विकाय हेतु आवेदित भूमि के अतिरिक्त ग्राम चूरिया प.ह.नं. 32 गोडा रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर में 3.070 हेक्टर भूमि शेष बच रही है जो आवेदक के जीवन यापन के लिए पर्याप्त है। चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा संहिता की धारा 165 (6) के तहत भूमि विकाय की अनुमति चाही गई है। आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए इस प्रकरण में उनको भूमि विकाय की अनुमति दिए जाने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष आलोच्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त</p>	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ब्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 433-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	वार्षिकी तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम मरहापाठ प.ह.नं. 32 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 255 रक्का 0.750 हैक्टर भूमि की अनुमति संहिता की धारा 165 (6) के तहत गैर आदिम जनजाति के सदस्य को निम्न शर्तों के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-</p> <p>1- प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष की गाहड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।</p> <p>2- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाहड लाईन की मान से किया जायेगा</p> <p>निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार संचित हों ।</p> <p style="text-align: right;">(मृग) (एम0क0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ब्वालियर</p> <p style="text-align: left; margin-left: 10%;">1/4</p>	